

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 02 /2020 केंद्रीय उत्पाद शुल्क-गै.टै.

नई दिल्ली, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि.....(अ.)- केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2017 के नियम-3 के उप नियम (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को सर्वनिष्ठ अधिकारी नियुक्त करता है और उनको उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों की सभी शक्तियां प्रदान करता है जिसका उपयोग उक्त सारणी के कॉलम (4) में क्रमशः विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

क्र.स.	अधिकारी	केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारी जिनकी शक्ति का उपयोग किया जाना है	उद्देश्य
1	2	3	4
1	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन) राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई	1. उप/सहायक आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क, डिवीजन-VIII, मुंबई वेस्ट आयुक्तालय 2. उप/आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क, डिवीजन-कलोल, गांधी नगर आयुक्तालय 3. उप/सहायक आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क, डिवीजन-1 टेलगांव, पुणे-1 आयुक्तालय (2 नोटिसी के लिए) 4. उप/सहायक आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क, डिवीजन-नार्थ-1 डिवीजन, गुडगांव आयुक्तालय 5. उप/सहायक आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क, डिवीजन-1 जम्मू एवं कश्मीर आयुक्तालय 6. उप/सहायक आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क, डिवीजन-IV, बेलापुर आयुक्तालय 7. उप/सहायक आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क, डिवीजन-IV, चांगोदर, अहमदाबाद नार्थ आयुक्तालय	मै. टोरेट फार्मास्युटिकल्स लि. अहमदाबाद एवं अन्य को जारी कारण बताओ नोटिस फा.स. DRI/AZU/SRU-4/2018-SFIS (टोरेट), दिनांक 30.08.2019 में न्याय निर्णयन के लिए

[F.No. 116/54/2019-CX-3]

माजिद खान
05.10.20

(माजिद खान)

अवर सचिव, भारत सरकार